न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

सरकार बनाम इमरान आदि।

मु.अ.सं. 628/2025,

अन्तर्गत धारा– 115(2), 352, 105 बी०एन०एस०

थाना कोतवाली शामली, जिला शामली

दिनांकः18.05.2026

पत्रावली पेश हुई। बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को उन्मोचन प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 द.प्र.सं./ 250 बी०एन०एस० दिनांकित 28.04.2026 पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्तगण इमरान व नवाब पुत्रगण हफीजूदीन की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र 227 द.प्र.सं./ 250 बी०एन०एस० वास्ते आरोप उन्मोचन इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त मु०अ०सं०—628/2025 अ०धारा—115(2),352,105 बी०एन०एस० में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमे में विवेचना पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं बनता। उपरोक्त एफ०आई०आर० वादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी है। एफ०आई०आर० 04 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। जबकि पुलिस द्वारा अपनी जांच में पाया कि वादी द्वारा दर्ज करायी गयी एफ०आई०आर० में दो व्यक्तियों की मौजूदगी नहीं थी और आरोप पत्र से उनका नाम पृथक कर दिया गया है। वादी द्वारा एफ०आई०आर० में यह बात कही गयी है "कि मै अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर नीचे उतरने को कह रहा था तथा वादी ने CD-2 Page No.3 पर भी अपने बयान में यही बात कही है" तथा वादी के लडके ने CD-4 Page No.3 पर अपने बयान में कहा कि "मेरे अब्बू मेरी माता का हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगे तभी इमरान, इरशाद और खालिद ने मेरी माता को जीने से उतरते वक्त नीचे धक्का दे दिया" तथा वादी का दूसरा लडका आरिफ ने CD-6 Page No.3 पर बयान में यही कहा है इससे स्पष्ट होता है कि वादी अपनी पत्नी को नीचे उतार रहा था तो वह वादी के कारण ही नीचे गिर गयी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतका को नही गिराया है। इसलिए प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पर धारा-105 बी०एन०एस० का प्रथम दृष्टिया मामला नहीं बनता है। CD-9 & CD-10 के जितने भी गवाह है सभी ने यह बात कही है कि वह जीने से नीचे गिरी है। जबकि नवाब व इमरान तो ऊपरी मंजिल पर थे, इसका मतलब यह है कि मृतका के पति की लापरवाही के कारण ही मृतका जीने से नीचे गिरी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार से घटना को अंजाम नहीं दिया है। वादी द्वारा अपने बयान में डायल 112 की सूचना देने व सरकारी अस्पताल शामली में ले जाने की बात कही है लेकिन इसका कोई भी रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। मृतका की जान वादी व उसके पुत्रों की लापरवाही की वजह से गई है। इसका पुख्ता सबूत वार्ड ब्वॉय हनीफ का बयान 'कि पति वकील एवं आरिफ (पुत्र) द्वारा बताया गया था उक्त महिला को 9:00AM पर जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली से मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया एवं वहा पर बिना दिखाये अपने गांव असारा ले गये एवं 3:40PM पर दिनांक-18.11.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामली पर मृतक अवस्था में लाये है। इसका विवरण GD 39 दिनांक—18.11.2025 पर है। इससे यह प्रतीत होता है मृतक का ईलाज सही समय पर हो जाता तो वह बच सकती थी। इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वादी व वादी के पुत्र ने अपने बयानों व एफ०आई०आर० में मृतक को गिराने में नवाब का नाम नहीं लिया है। फिर भी पुलिस द्वारा अपने आरोप पत्र में नवाब को भी धारा-105 बी०एन०एस० का मुल्जिम बना दिया गया है। स्वतन्त्र गवाहों ने भी किसी भी अभियुक्तगण के बारे मे यह नही बताया कि वह झगडा कर रहे थे या मृतका को धक्का दिया है। उपरोक्त सभी आधारो या अभिलेख पर कोई ठोस सबूत न होने पर भी पुलिस द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण समान आरोप लगा दिया गया है। जबकि वादी मुकदमा व चश्मदीन गवाहों के बयानों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध समान अपराध नही बनता है तथा

ना ही समस्त पत्रावली पर कोई सामान्य आशय दिखाया गया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त लिखित कारणों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण समान आरोप नही बनता है अतः आरोप पत्र को निरस्त कर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायहित में उन्मोचित करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 227 दं०प्र०सं०/250 बी०एन०एस०एस० के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर लेने के पश्चात यदि न्यायालय यह समझती है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तब अभियुक्त को उन्मोचित किया जायेगा।

इस प्रकार इस स्तर पर मात्र यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है या नहीं। इस सम्बंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री के साथ मारपीट, गाली–गलौज करने एवं उसकी गैर इरादतन हत्या करने के सम्बंध में अभियुक्तगण इरशाद, इमरान, खालिद व नबाव के विरूद्ध मु०अ०सं०–628/2025 धारा **115(2), 352, 105 बी०एन०एस०** के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें बाद विवेचना विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण इमरान व नबाव के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

माननीय उच्चतम की विधि व्यवस्था **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस०बी० जौहरी ए०आई०आर० 2000 (एस०सी०) 665** मे यह कहा गया है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को मात्र यह देखना चाहिए कि उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्य के गुणागुण पर विचार किया जाना न तो अपेक्षित है, न ही आवश्यक है। जहाँ तक हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है और उनके विरूद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 250 बी०एन०एस०एस० निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 दं०प्र०सं०/250 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 26.05.2026 को पेश हो। उक्त तिथि पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।
18.05.2026